आवेदनपत्र क्रमांक–1000102400

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
विद्युत वितरण खण्ड–शाहाबाद,हरदोई

Phone & Fax No: 05852-261000,
E-mail : eddshahabad.hardoi@gmail.com

दिनांक : 13.07.2021

पत्रांक: 1351 /वि0वि0ख0शा0ह0/पी0एफ0

विषय : निजी नलकूप कनेक्शन प्राप्त करने हेतु नियम व शर्तें।

सेवा में,

श्री रामरहीश पुत्र श्री बाबूराम, निवासी ग्राम खम्हरिया पो0 खितौली ब्लाक भरखनी, तह0 सवायजपुर, जिला हरदोई।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक.................................के सन्दर्भ में आपको सूचित करना है कि आपको निजी नलकूप के लिए 7.5 अश्व शक्ति की स्वीकृति संख्या ....वि0वि0ख0शा0ह0/एल0–15 दिनांक........./........./2021 द्वारा प्रदान की गयी है। कनेक्शन प्राप्त करने हेतु आपको निम्न विवरण की धनराशि जमा करके अधोलिखित नियम व शर्तो का अनुपालन करना होगा।

सामग्री का मूल्य	रू0	106970.00
मीटर की कीमत	रू0	2921.00
मीटर लेबर चार्जेज	रू0	2036.00
प्रतिभूति धनराशि	रू0	2400.00
जमा करने हेतु कुल धनराशि	रू0	114327.00

धनराशि शब्दों में– (एक चौदह हजार तीन सौ सत्ताईस रूपये मात्र)

अनुबन्ध हेतु आवश्यक प्रपत्र एवं कार्यवाही –

1. मोटर निरीक्षण शुल्क के रुप में शासकीय कोश में 043 विद्युत पर कर एंव शुल्क 102 भारतीय विद्युत नियमावली के अर्न्तगत शुल्क रू0 500.00 जमा करना होगा।
2. ऊपर लिखी धनराशि जमा करने के पश्चात जमानत व सर्विस लाइन चार्जेज रूपये की रसीद की दो छायाप्रति पस्तुत करें।
3. 100.00 रू0 नॉनजुडिशियल जनरल स्टाम्प तथा एम 10 रू के निर्धारित हलफनामे पर एक–एक फोटो चसपाकर किसी राजपत्रित/ग्रामप्रधान/ब्लाकप्रमुख/सदस्यविधानसभा/ लोकसभा द्वारा प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें।
4. आवेदक के आधारकार्ड की एक छायाप्रति लावें, जिस पर फोटो लगाकर प्रमाणित करायें तथा पूरा नाम व पता एवं मोबाइल नं0 लिखें।
5. कैपीसिटर खरीद की रसीद की छायाप्रति दो प्रतियों में।
6. यदि आपको ऊपर लिखी शर्तो मान्य हों तो आप कृपया किसी कार्य दिवस में 10 बजे से 01 बजे दोपहर तक किन्हीं दो गवाहों सहित इस कार्यालय में उपस्थित होकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें।
7. आपको कनेक्शन हेतु लाइन व सबस्टेशन बनवाने हेतु............................मजदूरों की आवश्यकता होगी, जिसकी व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी।

Scanned with CamScanner

8. आपको अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित **विद्युत भण्डार केन्द्र हरदोई** से अपने वाहन द्वारा सामान की ढुलाई करनी होगी आपके साथ कारपोरेशन का चतुर श्रमिक/स्किल्डलेबर/जायेगा तथा आप द्वारा श्रमिको की व्यवस्था करने पर शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

9. मोटर पर निर्धारित क्षमता का कैपिसिटर लगाये।

10. आपको अपना पम्पहाउस बनवाने हेतु आवश्यक ईंट, बालू तथा सीमेंट का प्रबन्ध करना पड़ेगा अतः उसी मे से उपयुक्त वस्तुओ की आवश्यक मात्रा अपनी लाइन कनेक्शन हेतु भी देय होगी।

नोटः—

1. सीमेन्ट,बालू तथा मिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्भे तक एंगिल पोल तथा स्टे के लिए होगी जिसकी मात्रा निम्नलिखित दर से होगी, प्रति खम्भा तक सीमेन्ट 0.85 बोरी, बालू 4.55 घनफिट, मिट्टी 910 घनफिट, सीमेन्ट 0.35 बोरी, बालू 1.85 घनफिट मिट्टी 3.77 घनफिट।

2. आपके कनेक्शन को बिजली तभी दी जायेगी जब आपकी वायरिंग पूरी होगी और बी0 एण्ड एल0 फार्म और मोटरडिक्लेरेशन फार्म (मोटर मुआयना के ट्रेजरी चालान सहित) इस कार्यालय मे जमा करें।

3. यदि आप उपरोक्त शर्तो इस पत्र पाने के 90 दिन के अन्दर पूरी नही करते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है और आपका आवेदन—पत्र निरस्त कर दिया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

4. कृपया ISI मार्का मोटरो व स्टार्टर का प्रयोग करें।

5. **अन्तिम खम्बे से आपके परिसर तक जो केबिल लगेगा उसका मूल्य आपसे नहीं लिया गया है। जिसकी व्यवस्था आपको स्वयं करनी है।**

6. **उपरोक्त नियम व शर्तो में परिवर्तन होना सम्भावित है तथा संशोधन नियम शर्तें आपको मान्य होगी।**

   जमा योजनान्तर्गत कनेक्शन लेने पर धनराशि जमा करने तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त वरीयता क्रमानुसार संयोजन दिया जायेगा।

7. **आपके परिसर पर मीटर स्थापित होने के उपरान्त ही संयोनज निर्गत किया जायेगा। यदि बिना मीटर के कनेक्शन चलता पाया जायेगा तो आपके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए पूर्ण रूप से आप जिम्मेदार होंगे।**

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांकः /वि0वि0ख0शा0ह0/पी0एफ0 दिनांक : ....20......

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. उपखण्ड अधिकारी ,प्रथम/द्वितीय/तृतीय, विद्युत वितरण उपखण्ड शाहाबाद/पिहानी/सवायजपुर, हरदोई।

अधिशासी अभियन्ता

Scanned with CamScanner